3- <u>विनिश्चय प्रक्रिया :-</u>

विभाग के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों के सेवा लाभों सम्बन्धी प्रस्ताव तथा उनके डियूटी में लापरवाही आदि की शिकायतें जनपद/अन्य किसी स्तर से प्राप्त होने पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्गत विभिन्न शासनादेशों/ नियमावलियों जैसे उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2000 आदि के अन्तर्गत प्रकरण पर निदेशक, स्तर से निर्णय लिया जाता है। जिन प्रकरणों में शासन नियुक्ति प्राधिकारी हैं उन प्रकरणों एवं प्रकरणों की जटिलता के दृष्टिगत शासन से मंतव्य प्राप्त कर कार्यवाही की जाती है। विषम प्रकरणों जैसे कार्मिकों की पदोन्नति/ विनियमितीकरण/ जॉच आदि के प्रकरण म पृथक-पृथक समिति बनाकर / जॉच अधिकारी नामित कर मन्तव्य प्राप्त करने के उपरान्त कार्यवाही की जाती है। कार्मिकों के प्रोन्नति / सेवानिवृत्ति आदि की कार्यवाही समयान्तर्गत किये जाने हेतु संवर्ग वार कार्मिकों की ज्येष्ठता सूची तैयार कर उसमें जन्मतिथि , नियुक्ति तिथि आदि का विवरण अंकित किया जाता है और उसी आधार पर कार्यवाही की जाती है ।